INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार

रजनीश कुमार अम्बेडकर
पी-एच.डी., शोध छात्र, स्त्री अध्ययन विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)
मो.09423518660/08421966265
Email: rajneesh228@gmail.com
डॉ. राजेश कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी (कर्नाटक)

वैसे तो इस देश में नारी को श्रद्धा की दृष्टि से देखने का प्रचार होता आ रहा है लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुरुष प्रधान समाज विकसित हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप नारी को दीन-हीन समझा गया है। उसको मृत शरीर के साथ जलने के लिए मजबूर किया गया और नारियों की वाह! वाह! लूटने हेतु उनको बेवकूफ बनाते हुए उन्हें 'सती मैया' का दर्जा देकर रोजी-रोटी चलाने का माध्यम बनाया गया। जिस परिवार की स्त्री अपने मृत पति के साथ विवशता व अज्ञानता के कारण जल गई, उस परिवार को समाज ने विशेष सम्मान दिया ताकि सती प्रथा को भली भांति बरकरार रखा जा सकें, इसी सम्मान को पाने के लिए समय-समय पर परिवार वालों ने, सामंती व्यवस्थापकों ने, धार्मिक मठाधीशों ने, बेवाओं की भाववेश दशाओं का फायदा उठाकर उनको जला दिया तथा उसे 'सती मैया' शब्द से महिमामंडित कर दिया जो नारियों और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

20 वीं सदी में डॉ. अम्बेडकर भारतीय महिलाओं के लिए मसीहा बने। उन्होंने बुद्ध विचारधारा से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबाराव फूले व छत्रपति शाहूजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए महिला की आजादी के लिए संघर्ष किया और देश के संविधान का निर्माण किया। जिसमें कानूनों की रचना करके भारतीय महिला को पूरी तरह आजाद किया तथा पुरुष के बराबर अधिकार दिए और उसको कमजोर वर्ग समझकर पुरुषों से ज्यादा सुविधाएं दी। उन्होंने भी महिला की गुलामी के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार ठहराया। बाबासाहब ने महिलाओं को शिक्षा देते हुए कहा कि हमें कर्म की फिलास्फ़ी को त्याग देना चाहिए। यह गलत है कि मां-बाप केवल बच्चे को जन्म ही देते हैं भविष्य नहीं। मां-बाप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी शुरू कर दें तो हम और भी तरक्की कर सकते हैं। यदि **लड़का पढ़ेगा तो केवल एक ही पढ़ेगा, यदि लड़की पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा।** क्योंकि लड़की को आगे चलकर मां बनना है। यदि लड़की पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी। जिससे परिवार बढ़ियां बनेगा और जो अच्छे समाज का निर्माण करेगा। इससे सम्यक समाज की रचना होगी। जिसमें मनुष्य मानवीय मूल्यों, आजादी समानता, भाईचारा और न्याय का आनंद उठा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं से बेगार कराए जाने के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। पुलिस और सरकारी अधिकारी मर्दों, महिलाओं और नौजवान लड़कियों को बेगार के लिए ले जाते और कई-कई दिन बेगार करवाते रहते। इससे नौजवान लड़कियों को इज्जत सदैव खतरे में रहती थी। इस प्रकार की बेगार को ख़त्म करने के लिए 3 अगस्त 1928 को बंबई विधान परिषद् में बिल पेश किया और आंदोलन करके बर्तानिया सरकार को हिला के रख दिया और नतीजन महिलाओं को बेगार जैसी कुप्रथा से निजात मिली। बाबासाहब ने 28 जुलाई 1928 को बंबई

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

विधान परिषद् में उन्होंने अपने बिल पेश करके प्रसूति समय छुट्टी और वेतन की सहूलतें दिलवाई और बच्चों के लिए रैस्क्यू होम बनवाए। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि "यदि आप (सरकार को) यह स्वीकार करते हो कि स्वतंत्र होना एक कुदरती हक हो तो हड़ताल करने का अधिकार, अधिकार क्यों नहीं.?" उन्होंने मर्दों के साथ-साथ महिलाओं को भी हड़ताल करने के अधिकार दिलवाए। बाबासाहब ने देश-विदेश में महिलाओं की आजादी की आवाज बुलंद की। वोट का अधिकार भारत की पूरी आबादी के लगभग दो फीसदी लोगों को हासिल था जो जायदाद का मालिक होता था। बाबासाहब ने वोट के साथ जायदाद की लगी शर्त का विरोध किया। उन सभी के लिए विरोध कर महिलाओं के लिए चाहे वह शिक्षित है या नहीं वह जायदाद की मालकिन है या नहीं का अधिकार दिलवाए।

सन् 1 जुलाई 1937 को औरत मजदूरों की कांफ्रेंस में एक बार फिर यह मांग थी कि खानों में जमीन के नीचे महिलाओं की मजदूरी करने पर पाबंदी को सख्ती से लागू किया जाए। इस मांग की तरफ बाबासाहब के बिना और किसी का ध्यान नहीं गया और बाबासाहब ने यह कानून पास करवाया कि महिलाएं खानों में काम नहीं करेंगी। बाबासाहब ने सफाई मजदूरों की मुश्किलें सुनी। सफाई मजदूरों के लिए बनाए काले कानूनों की बाबासाहब ने धज्जियां उड़ा दी। बाबासाहब ने महिलाओं की गुलामी का कारण हिंदू धर्म शास्त्रों को माना है क्योंकि धर्मशास्त्रों में महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।

बाबासाहब महिलाओं के जीवन में सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे उसी दिशा में उस समय के प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु की सहमति से हिंदू कोड बिल तैयार किया। जिसमें महिलाओं को कई तरह के अधिकार दिए गए। महिलाओं को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलवाने के लिए जायदाद की मलकीयत का हक दिया। महिलाओं को तलाक देने का हक दिया। महिलाओं को अपना उत्तराधिकारी चुनने का हक दिया। विधवा विवाह का हक दिया ये अलग बात है कि उस समय हिंदू विचारधारा वाले नेताओं जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति, वल्लभभाई पटेल ने इस बिल का डट के विरोध किया और बिल को पास नहीं होना दिया। बाबासाहब ने इसके लिए मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया और कहा कि **"जब तक महिलाओं को नंबर दो नागरिक समझा जाता रहेगा और उनको पुरुषों के बराबर नहीं आने दिया जाएगा। तक तक देश का आधा समाज गुलाम ही बना रहेगा। जब तक महिलाएं क्रांति से हिस्सेदार नहीं बनेगी, क्रांति सामाजिक हो या आर्थिक अधूरी ही रहेगी।"**

आज भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग यही चाहते हैं कि फिर से हिंदू परम्पराओं को लागू करके देश में से कानून के शासन को खत्म किया जाए। आज भी महिलाओं को धर्म के द्वारा लगाई पाबंदियों को सहन करना पड़ रहा है। आज भी महिलाओं पर जुल्म-अत्याचार किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में महिलाओं में रूढ़िगत मान्यताओं को अमान्य करने और प्रगतिशील जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक छटपटाहट देखने को मिल रही हैं। समाज के हर क्षेत्र में वो अपने अबला से सबला बनकर नई बुलंदियों तक पहुँचने तथा स्वतंत्र चिंतन और अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करने के लिए हमेशा प्रयासरत है। अभी भारत देश में भी प्रतिवर्ष 8 मार्च को 'महिला दिवस' मनाने को कोई भी विशेष सार्थक प्रयास के परिणाम देखने को नहीं मिल रहा हैं। हम भाषण कविता और सिंहनाद मंच से उच्चारण करके फिर उसी सांस्कृतिक और सामाजिक सोच के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम अंधश्रद्धा और अंधविश्वास जनित सोच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मौलिक परिवर्तन नहीं ला पाते, जब तक हम धर्म सापेक्ष विधान को पूर्णत: अमानवीय घोषित करके नकार नहीं देते और जब तक हम भारत के राष्ट्र संविधान का क्रियान्वयन नहीं कर पाते तब तक महिला विमर्श, महिला सशक्तिकरण और महिला मुक्ति जैसे शब्दों का सार्थक्य सिद्ध नहीं हो पाता है।

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

संविधान में महिलाओं की मुक्ति के लिए निम्नलिखित कानून दिए जैसे:-

- स्त्रियों के अधिकारों को पुरुषों के बराबर समझा जाए।
- स्त्रियों के अधिकारों को पुरुषों के अधिकारों से अलग समझा जाए अर्थात कानून उनकी हिमायत या संरक्षण करें।
- वे अधिकार जो स्त्रियों को पुरुषों से भिन्न शारीरिक संरचना के कारण मिले हैं।

1. अनुच्छेद 13- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावपूर्ण कानूनों, आदेशों, अपमानजनक रुढ़िवादी प्रथाएं अवैध करार दी गई।
2. अनुच्छेद 14- संविधान के इस अनुच्छेद में व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया है। यह अनुच्छेद महिला तथा पुरुष दोनों के मामलों में लागू होता है।
3. अनुच्छेद 15- इस अनुच्छेद के धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश इत्यादि आधारों पर विभेद न करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 15 (3) में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के हित को देखते हुए बनाया कोई कानून इस अनुच्छेद के विरुद्ध नहीं माना जायेगा।
4. अनुच्छेद 16- इस अनुच्छेद द्वारा लोक नियोजन में पुरुष तथा महिला को समान अवसर दिए जाने का निदेश है। समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश भी इसी अनुच्छेद में हैं।
5. अनुच्छेद 21- सभी को जीने का अधिकार।
6. अनुच्छेद 23 व 24- इस अनुच्छेद द्वारा नारी के शोषण, बलात श्रम, महिलाओं का क्रय-विक्रय इत्यादि पर रोक लगाए जाने का निर्देश हैं।
7. अनुच्छेद 39- इस अनुच्छेद में कहा गया हा कि राज्य ऐसी नीतियाँ का निर्माण करेगा जिससे (क) स्त्री व पुरुष दोनों के जीवन निर्वाह की स्थितियां बनें (ख) स्त्री पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।
8. अनुच्छेद 42- इस अनुच्छेद के राज्य को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश जिससे महिलाओं को प्रसूति काल में वे सभी सुविधाएं मिल सकें जो उन्हें मानवीय आधार पर मिलनी चाहिए।

इसी प्रकार से कुछ विशेष कानूनों जैसे-

1. बागान श्रम अधिनियम (1951)
2. खान अधिनियम (1952)
3. दहेज निषेध अधिनियम (1961) (संशोधित 1986)
4. बीड़ी एवं सिंगार कर्मकार अधिनियम (1966)
5. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)
6. बाल-विवाह निषेध अधिनियम (1986)

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF INDIA

7. सती प्रथा निवारण अधिनियम (1987)
8. प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994)
9. महिला संरक्षण अधिनियम (2005)
10. विवाह विधि संशोधन विधेयक (2010)
11. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम (2013)

महिलाओं के कानूनन अधिकार

1. यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के विरुद्ध संभोग करता हा तो यह बलात्कार कहलाएगा। उस महिला को ऐसे अपराधी के विरुद्ध थाने में शिकायत करने का अधिकार है। धारा-376, सजा 7-10 वर्ष
2. पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना। धारा 494ए, सजा 10 वर्ष
3. बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना। धारा 499ए, सजा 3 वर्ष
4. दहेज। धारा 304क, सजा आजीवन कारावास
5. देहज मृत्यु। धारा 304क, सजा आजीवन कारावास
6. आत्महत्या के दबाव बनाना। धारा 306, सजा 10 वर्ष
7. महिला की सम्मति के बगैर गर्भपात कराना। धारा 313, सजा 10 वर्ष या आजीवन कारावास/जुर्माना
8. ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की गई क्रूरता जिसके अंतर्गत मारपीट से लेकर कैद में रखना, खाना न देना व दहेज के प्रति प्रताड़ित करना। धारा 498, सजा 3 वर्ष

संक्षेप में अगर हम कहें कि भारतीय संविधान की नजर में महिलाओं को जब तक मुख्य रूप से नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागेदारी सुनिश्चित करना है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुलें, नए विकल्प तैयार हों। भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिग सुविधाएं, कानूनी हक़ और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों। ये सब तभी सही मायने में मिल सकता है। जब बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर द्वारा निर्मित 'भारतीय संविधान' को सरकारें दृढ़ इच्छा के साथ इसको लागू करें। जिससे महिलाओं को हक़-अधिकार, मान-सम्मान और आजादी मिल सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. राय, विकास नारायण (फरवरी 2012) : लड़कियों का इंकलाब जिंदाबाद, साहित्य उपक्रम, नई दिल्ली, पृष्ट सं.-5
2. 'कमल', डॉ. राजवीर सिंह : दलित समाज दशा और दिशा-2007, कांती पब्लिकेशन ए-507/12, करतार नगर बाबा श्यामगिरी मार्ग, साउथ गांवडी एक्सटेंशन, दिल्ली-110053, पृष्ट सं.-34-35
3. कोचर, जयदीप सिंह : मानव अधिकार नई दिशाएं-2010, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी-ब्लाक, जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स, आई.एन.ए.नई दिल्ली-110023, पृष्ट सं.-39